FROM :   FAX NO. :0522 2239076   21 Sep. 2016 05:34PM P 001

दिनांक: 16 सितम्बर, 2016 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग–1 के खण्ड (क) में अवश्य प्रकाशित किया जाय।

उत्तर प्रदेश शासन
विधायी अनुभाग–1
संख्या–1338/79–वि–1–16–1(क)18/2016
लखनऊ:दिनांक: 16 सितम्बर, 2016

अधिसूचना
विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016 पर दिनांक 14 सितम्बर, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2016 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है:–

(यहाँ पर नत्थी किया हुआ छापा जाय)

आज्ञा से,

रंगनाथ पाण्डेय,
प्रमुख सचिव।

(श्री चन्द्र द्विवेदी)
विशेष कार्याधिकारी
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या–1338(1)/79–वि–1–16–1(क)18/2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
2– मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3– प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन ।
4– प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश को अधिनियम की मूल प्रति के साथ।
5– प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
6– सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश।
7– महामहिम श्री राज्यपाल के प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश।
8– संसदीय कार्य अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
9– विधि परामर्शी पुस्तकालय, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
10– भाषा अनुभाग–5, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
11– विधायी अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से,

(राजेश सिंह)
विशेष सचिव एवं अपर
विधि परामर्शी ।

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2016)

उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान [illegible] द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है–

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, सन् 2007 की धारा 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, सन् 2007) जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है की, धारा 2 में, उपधारा (1) में, खण्ड (ख) में, उपखण्ड (नौ) के पश्चात निम्न उपखण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(दस) कोई ट्रांसपोर्टर/कुरियर/परिदान अभिकर्ता/अभिकर्ता/मालवाहक एवं कोई अन्य व्यक्ति जो राज्य के बाहर से राज्य के भीतर, आनलाईन क्रय अथवा ई–कामर्स के माध्यम से, कारबार के अन्यथा अथवा व्यक्तिगत प्रयोजनार्थ, स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति की ओर से ऐसा माल प्राप्त करने का इरादा रखता हो।"

धारा 4–क का बढ़ाया जाना

3–मूल अधिनियम की धारा 4 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा 4–क बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

ई–कामर्स के माध्यम से लायी गयी वस्तुओं पर कर का संग्रहण

"4–क. इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, कमिश्नर परिपत्र द्वारा ऑनलाईन क्रय या ई–कामर्स द्वारा स्थानीय क्षेत्र में, विनिर्दिष्ट माल के प्रवेश पर कर संग्रहीत करने की सरल प्रक्रिया बना सकते हैं तथा ऐसी प्रक्रिया के अन्तर्गत ट्रांसपोर्टर/कुरियर/परिदान अभिकर्ता/अभिकर्ता/मालवाहक एवं कोई अन्य व्यक्ति जो राज्य के बाहर से राज्य के भीतर, कारबार के अन्यथा अथवा व्यक्तिगत प्रयोजनार्थ, स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति की ओर से ऐसा माल प्राप्त करने का इरादा रखता हो, से कर के संग्रहण की प्रक्रिया भी उपबन्धित की जा सकती है तथा ऐसा ट्रांसपोर्टर/कुरियर/परिदान अभिकर्ता/अभिकर्ता/मालवाहक एवं कोई अन्य व्यक्ति ऐसी रीति से जो उसके अधीन अवधारित की जाए, इस अधिनियम के अधीन देय कर के भुगतान के लिए दायी होगा।"